

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
03/22	212 RTA	बलहरपुर	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
द्रोपती	बनाम	रामकिशन वगै०

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

12⁰¹/₂₂
 अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 01/2/22 को पेश हो।

8²/₂₂
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थो उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तालील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी कुम 1 ता 6 को ओर से श्री रामकिशन वैश्याव एडवो. का कबालत नामी पेश हुआ। जवाब हेतु सम्मन जारी है बरते जवाब पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।

9³/₂₂
 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थो उपस्थित। वकील प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ सम्मन जारी है बरते जवाब पत्रावली दिनांक 11/4/22 को पेश हो।

11⁴/₂₂
 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30/5/22 को पेश हो। D. C. वैश्याव एडवो. का कबालत नामी पेश हुआ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्रावली पत्र हुई वकूलाग करीकोर उमर जनाउ पत्र
 नही हुआ लान पाहसे ही पत्रावली नाते जनाउ डिपॉजिट
 3-3-25 को पत्र ही
 ✍

3-3-25

पत्रावली पत्र हुई वकूलाग नाते व स्वरुं जारी उमर
 नही ही वकूलाग जारी व स्वरुं जारी को भीग कर
 आवाग लगावाइ गरी वाकूलाग पूरना के न्याया
 के उमर नही ही काल जारी कर जारीना पत्र कडर
 वकूलाग कडर देखी से किरक खिमा जाय ही पत्रावली
 फिलहाल शुरुवात बचल वाड लामील वकूलाग के दाखिल
 दफ्तर ही
 ✍